रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01052025-262806
SG-DL-E-01052025-262806

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 30
No. 130]	DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947	[N. C. T. D. No. 30

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

सं.एफ. 4(1)उप/रा.चु.आ/विधि/2025/19212.—जबकि दिल्ली नगर निगम के निम्नलिखित वार्डों में वर्तमान पाषर्दों के त्यागपत्र के कारण 12 रिक्तियां हुई हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः—

क्र. सं.	वार्ड संख्या व नाम	आरक्षण की स्थिति	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नम्बर तथा नाम जिस में वार्ड सम्मिलित हैं
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1	35—मुंडका	सामान्य	08 मुंडका
2	56— शालीमार बाग—बी	महिला	14 शालीमार बाग
3	65—अशोक विहार	महिला	17 वजीरपुर
4	74—चांदनी चौक	सामान्य	20 चांदनी चौक

5	76–चांदनी महल	सामान्य	21 मटिया महल
6	120– द्वारका–बी	महिला	34 मटियाला
7	128–दिचाऊँ कलाँ	महिला	35 नजफगढ
8	139–नारायणा	सामान्य	39 राजेन्द्रनगर
9	163–संगम विहार–ए	सामान्य	47 देवली
10	164–दक्षिण पुरी	टनुसूचित जाति	47 देवली
11	173–ग्रेटर कैलाश	महिला	50 ग्रेटर कैलाश
12	198–विनोद नगर	सामान्य	57 पटपड़ गंज

और जबकि रिक्त स्थानों को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (समय–समय परसंशोधित) द्वारा तथा इनके अर्न्तगत बनाये गये नियमों के अनुसार उक्त रिक्तियों को पार्षदों के चुनाव द्वारा भरने के लिए उप चुनाव होनें हैं।

और जबकि, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त उप चुनावों में उपयोग हेतु नगर निगम के वार्डों के लिए नई मतदाता सूचियाँ तैयार करने की एवज में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान मतदाता सूचियों को अंगीकार करना उचित होगा, जो नगर निगम के उक्त सभी वार्डों के अंतर्गत आते हैं, और उपरोक्त उप चुनावों के प्रयोजन के लिए कथित वार्डों से संबंधित हैं। चुंकि ऐसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ जो 01.01.2025 से अर्हक तिथि के रूप में मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली सरकार, दिल्ली, द्वारा पुनरीक्षित की जा चुकी हैं तथा तत्समय के लिए लागू हैं और इस आयोग द्वारा उक्त वर्णित वार्डों की नई मतदाता सूचियों को तैयार करने में काफी समय लग सकता है तथा इस संबंध में अतिरिक्त व्यय भी होगा, जिसे आसानी से बचाया जा सकता है।

अब इसलिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (समय–समय पर संशोधित) की धारा–7 ई के परन्तुक के अनुसार तथा दिल्ली नगर निगम (मतदाता सूची की तैयारी) नियमावली, 1975 के नियम 27 के उपबंधों के साथ पठित् चुनाव आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि उन विधान सभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ, जो वर्तमान में प्रचलित हैं तथा ये दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों से संबंधित हैं, ये दिल्ली नगर निगम के उपरोक्त वार्डों जो ऊपर तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित हैं के होने वाले उप चुनावों के लिए मतदाता सूचियाँ होगीं। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की उपर्युक्त मतदाता सूचियाँ जिनको "01.01.2025" की अर्हक तिथि के अनुसार पुनरीक्षित किया गया है तथा यह अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। तत्पश्चात् जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 तथा 23 के अधीन बनाई गई/बनाई जाने वाली परिशिष्ठ मतदाता सूचियाँ उक्त उप चुनावों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि तक, उक्त संबंधित वार्डों की मतदाता सूचियों का भी हिस्सा बनेंगी, जिन्हें नगर निगम के उप चुनाव के लिए अंगीकार किया गया है।

डॉ. विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 28th April, 2025

No. F. 4 BYE (1)/SEC/LAW/2025/19212.—WHEREAS the following vacancies have occurred in the Municipal Corporation of Delhi as shown against each ward due to the resignation of the sitting Councillors:-

Sl. No.	No. & Name of Ward	Status of Reservation	No. & Name of Assembly Constituency in which the ward is comprised
1	**2**	**3**	**4**
1.	35- Mundka	GENERAL	08 - Mundka
2	56-Shalimar Bagh-B	WOMAN	14 - Shalimar Bagh
3	65-Ashok Vihar	WOMAN	17 - Wazirpur
4	74-Chandni Chowk	GENERAL	20 - ChandniChowk
5	76- Chandni Mahal	GENERAL	21 - Matia Mahal
6	120-Dwarka B	WOMAN	34 -Matiala
7	128- Dichaon Kalan	WOMAN	35 - Najafgarh
8	139-Naraina	GENERAL	39 - Rajender Nagar
9	163-SangamVihar-A	GENERAL	47 - Deoli
10	164 -DakshinPuri	SC	47 - Deoli
11	173-Greater Kailash	WOMAN	50 - Greater Kailash
12	198-Vinod Nagar	GENERAL	57 - Patparganj

AND WHEREAS bye-elections to the above mentioned wards shall be held to elect Councillors to fill the casual vacancies in the Municipal Corporation of Delhi, in accordance with the provisions of Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended till now and the rules made thereunder.

AND WHEREAS the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that instead of preparing fresh electoral rolls for the aforesaid wards for use in the bye-elections, it would be sufficient to adopt the electoral rolls of the respective Assembly Constituencies of the National Capital Territory of Delhi, as are comprised within the above-mentioned wards of the Municipal Corporation of Delhi, and for the time being are in force and as relate to the above-mentioned wards, for the purpose of the aforesaid bye-elections, as the electoral rolls for the Assembly Constituencies have since been revised by the Chief Electoral Officer, Delhi, with reference to 01/01/2025 as the qualifying date. Preparation of fresh electoral rolls for the above-said wards by this Commission would entail long time besides incurring expenditure in this respect, which could be safely avoided.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon the Election Commission under the proviso to Section 7E of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended till date read with Rule 27 of the Delhi Municipal Corporation (Preparation of Electoral Rolls) Rules, 1975, I, Dr. Vijay Dev, State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, hereby direct that the electoral rolls of such Assembly Constituencies, for the time being in force, as relate to the above-mentioned 12 wards of the Municipal Corporation of Delhi, shown above against each in column 4, shall be the electoral rolls for the said Municipal Wards, for the purpose of the ensuing bye-elections to the said wards of the Municipal Corporation of Delhi. Further, the Supplementary electoral rolls prepared by the office of the Chief Electoral Officer, Govt. of NCT of Delhi, under section 22 & 23 of the Representation of the People Act 1950, as these exists on the last date fixed for filing nominations for the aforesaid bye-elections, shall also be included in the electoral roll of respective wards as adopted by this Commission, for purpose of said bye-elections.

DR. VIJAY DEV, State Election Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.05.01 16:34:52 +05'30'